ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या–60/2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः नवम्बर 16,2018

विषयः क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–29015/2018 एवं 29233/2018 भारती सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपराधों की त्वरित विवेचना सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी इस तथ्य से भली–भॉति अवगत है कि गम्भीर अपराधों के पंजीकरण एवं विवेचना में अनावश्यक विलम्ब होने से जहॉ अभियोजन साक्ष्य के विलुप्त होने तथा पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने में विफल होने की सम्भावना उत्पन्न होती है, वहीं जनता एवं मा0 न्यायालय के समक्ष पुलिस कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में नकारात्मक छवि भी बनती है।

मुख्य अभियोगों की विवेचना हेतु हस्तपुस्तिका
डीजी परिपत्र सं0–17/17 दि0 18.07.2017
डीजी परिपत्र सं0–40/16 दि0 17.07.2016
डीजी परिपत्र सं0–66/15 दि0 26.09.2015
डीजी परिपत्र सं0–31/15 दि0 28.04.2015
डीजी परिपत्र सं0–51/15 दि0 12.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–52/15 दि0 12.07.2015

2. गम्भीर एवं संवेदनशील अभियोगों की त्वरित न्यायसंगत एवं निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित कराने हेतु मुख्यालय स्तर से अनेक परिपत्र निर्गत किये जा चुके हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पार्श्व में अंकित है, यह परिपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट *uppolice.gov.in* पर उपलब्ध है।

3. सन्दर्भित रिट याचिका में जनपद बलिया के थाना दोकटी एवं नरही में पंजीकृत मु0अ0सं0 34ए/2006 धारा 419,420,467,468,471,477ए,201,218, 120बी,34 भादवि0 एवं 13(2) भ्र0नि0अधि0 एवं मु0अ0सं0 45बी/2006 धारा 409,419,420,467,468,471,477ए,201,218,120बी,34 भादवि0 एवं 13(2) भ्र0नि0 अधि0 की विवेचना 12 वर्ष से लम्बित रहने पर मा0 न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए पारित आदेश की प्रति प्रमुख सचिव(गृह), उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित अभियोगों एवं इस प्रकार के अन्य अभियोगों की विवेचना 03 सप्ताह में पूर्ण करके अनुपालन आख्या मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के अभियोगों की विवेचना, जहॉ अभियुक्त की गिरफ्तारी मा0 न्यायालय द्वारा स्थगित है, का स्पष्टीकरण प्राप्त करके रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"It is very disturbing that the matter pertains to the year 2006 and the investigation of the case has been kept pending for the last 12 year.

The Principal Secretary (Home) U.P. Lucknow is directed to ensure that the investigation of the present case as well as similar other cases for the similar offences shall be concluded within three weeks from the date of production of a certified copy of this order, if already not concluded. He shall also call an explanation from the official concerned explaining as to why investigation has not been

Scanned by CamScanner

concluded in the present case as well as in similar other matters in which the arrest of accused was stayed by this Court and file his personal affidavit to this effect to the Registrar General of this Court by the next date fixed to be placed before us. With the aforesaid directions, the present petition stands disposed of.

The Registrar General of this Court is directed to send a copy of this order to the Principal Secretary (Home) U.P. Lucknow for its compliance".

4. मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 482/378/407 भादवि के अन्तर्गत थाना मिश्रित जनपद सीतापुर के प्रकरण, जिसमें वर्ष 1997 के अभियोग की विवेचना वर्ष 2018 तक पूर्ण न हो पाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रकरण की विवेचना शीघ्र निष्पादित कराने हेतु प्रमुख सचिव(गृह), उ0प्र0 शासन एवं अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है।

5. रिट याचिका(क्रिमिनल) संख्या–21567/2018 मुन्नी देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अभियोगों की विवेचना शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु आदेश की प्रति मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पुनः परिपत्र संख्या–49/2018 आप समस्त के मार्गदर्शनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है।

6. आपराधिक अभियोगों की विवेचना की संघन समीक्षा एवं निकट पर्यवेक्षण पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाना नितान्त आवश्यक है। विवेचना के तर्कसंगत एवं त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाना तथा विशेषज्ञ की राय शीघ्रता से प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करना पुलिस का प्रमुख दायित्व है।

7. एतद्द्वारा पुनः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपराधिक मामलों की विवेचनाओं में बिना अनावश्यक विलम्ब के त्रुटिरहित, तथ्यपरक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक अभियान चलाकर वर्षो से लम्बित विवेचनाओं को तीन माह के अन्दर पूर्ण कर अनुपालन आख्या से 01 मार्च 2019 तक अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, विशेषकर ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त की गिरफ्तारी पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। यदि किसी प्रकरण की विवेचना में अनुचित विलम्ब पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करें तथा दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे अनावश्यक रूप से भविष्य में कोई भी विवेचनायें लम्बित न रहने पायें।

कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

6/11

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक,सीबीसीआईडी/भ्र0नि0संगठन/आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन/विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ/रेलवे/खाद्य प्रकोष्ठ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner